(13)

संख्या–ई–8–1609/दस–06–89/2004

प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेई,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त(व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–8 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2006

विषयः– शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–303/दस–06–89/2004 दिनांक 02 मार्च 2006 एवं सं0–ई–8–667/दस–06–89/2004 दिनांक 06जून, 2006 में मानकीकृत कार्यों हेतु रू0 10.00 करोड़ तक की लागत के तथा गैर मानकीकृत कार्यों हेतु रू0 2.50 करोड़ तक की लागत के भवन निर्माण कार्य किसी राजकीय निर्माण एजेन्सी से निक्षेप कार्य के रूप में कराये जाने की व्यवस्था है।

2– इस संबंध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित एजेन्सियों के अतिरिक्त उ0प्र0 विद्युतीकरण एवं शीतगृह संघ लिमिटेड (पैक्सफेड) को भी उक्त प्रयोजन हेतु निम्न शर्तों के अधीन राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में माना जायेगा।

(क) उपर्युक्त निर्माण एजेन्सी में वित्तीय अनुशासन एवं सम्पादित कार्यों में उच्चकोटि की गुणात्मकता को सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक त्रैमास सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निरीक्षण एवं गुणात्मक तथा मात्रात्मक अनुश्रवण किया जाये।

(ख) उपर्युक्त निर्माण एजेन्सी द्वारा सम्पादित कार्यों की समय–समय पर मा0 मुख्यमंत्री जी/मुख्य सचिव द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा जॉच करायी जाये।

3– शेष प्रतिबंध एवं शर्तें पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार रहेंगे तथा यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

भवदीय,

नवीन चन्द्र बाजपेई
मुख्य सचिव।

संख्या–ई–8–1609(1) / दस–2008–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
3. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0।
4. प्रबंध निदेशक, जल निगम उ0प्र0।
5. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
6. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 सेतु निगम लि0।
7. प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
8. प्रबंध निदेशक , उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0।
9. निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश विधायन एवं शीतगृह संघ लि0(पैक्सफेड) लखनऊ ।
11. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग।

आज्ञा से,

(महेश कुमार गुप्ता)
सचिव।